म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी, 2012

क्रमांक 606/म.प्र.विनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (एक्स) सहपठित धारा 50 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 861 दिनांक 27.03.2004 द्वारा मूल रूप से जारी तथा दिनांक 16.4.2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

प्रस्तावना

यह जबकि आयोग द्वारा दिनांक 25.06.2010 को प्रत्येक श्रेणी के लिए सभी प्रकार के नवीन कनेक्शन/संविदा मांग परिवर्तन इत्यादि हेतु एकजाई आवेदन पत्र मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सत्रहवें संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किये गये थे ।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.09.2011 के तहत् ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता संबंधित विभिन्न 7 सेवाएं सम्मिलित की गयी हैं, जिनमें सेवा क्रमांक 1.1 "निम्न दाब व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मांग–पत्र प्रदान करना, जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है," हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू/गैर घरेलू आदि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित एकजाई आवेदन पत्र को सरलीकृत कर उपरोक्त सेवा के संदर्भ में पृथक आवेदन पत्र प्रस्तावित किया गया है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अट्ठारहवां संशोधन

(i) **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (अट्ठारहवां संशोधन) [क्रमांक एजी –I (xviii), वर्ष 2012]" कहीं जाएगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :**

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जिसे एतद् पश्चात् प्रधान संहिता कहा जाएगा, उसके अध्याय 4 की कण्डिका 4.13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"4.13 विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति का आवेदन प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे उपभोक्ता द्वारा दो प्रतियों में जमा करना होगा । आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–1 और परिशिष्ट–2 में दिया गया है । कोरे आवेदन प्रपत्र की छाया प्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट से प्राप्त किए गए आवेदन-पत्र का उपयोग भी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकारणीय होगा. छायाप्रति अथवा वेबसाईट से प्राप्त आवेदन की स्थिति में आवेदन–पत्र का शुल्क आवेदन–पत्र जमा करने के समय देय होगा.''

3. **संहिता के परिशिष्ट में संशोधन :**

प्रधान संहिता में परिशिष्ट–1 को संलग्न परिशिष्ट–1 तथा परिशिष्ट–2 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी आयोग सचिव.

परिशिष्ट – 1

आवेदन प्रपत्र – घरेलू/गैर घरेलू निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

____
____
____

पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाए

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :–

1. उपभोक्ता

(अ)	आवेदक /संस्था का नाम	:	________________
(ब)	पिता/पति/संचालक/साझीदार/ न्यासी का नाम	:	________________
(स)	परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया जाना है या जहाँ परिवर्तन प्रस्तावित है ।	:	________________ ________________
	दूरभाष क्रमांक	:	________________
	(i) कारखाना/परिसर	:	________________
	(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित)	:	________________
	(iii) निवास (डाक पता)	:	________________

ई–मेल : ________________________________

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : ________________________

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ---------------------------

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : --------------------------------

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :----------------------

3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी ---

4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य ------------------------------------

5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें :–दिनांक -------- से ---------- तक

6. प्रस्तावित भार
(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए------------वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
(ब) गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता निम्न सारणी में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(स) यदि मॉग आधारित विद्युत दर का विकल्प चुना हो, तो संविदा मॉग ____ के.व्ही.ए. _____ से प्रभावी यदि आपूर्ति के मामले में चरणबद्ध में आवश्यक हो।

7. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ/ नहीं

8. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहॉ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है । : हाँ/ नहीं

9. क्या ऐसी किसी संस्था/कम्पनी आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रांतर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ / नहीं

(क्रमांक 7, 8 एवं 9 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

10. क्या परिसर के नक्शें में, विद्युत उपयोग हेतु परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । : हाँ / नहीं

11. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय–वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जेस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।

(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

(ई) मैं/हम नें आवेदन के साथ सूची अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं । : हाँ / नहीं

(यदि नहीं तो कृपया कारण सहित विवरण दें)

दिनांक : (आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
स्थान :

नोट :— आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें :—

<u>शहरी क्षेत्र घरेलू तथा गैर घरेलू कनेक्शन हेतु दस्तावेज –</u>

i. आवेदन पंजीयन शुल्क

ii. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

iii. मकान संबंधी अभिलेख की छायाप्रति (किरायेदार होने पर किरायेदारी संबंधी अनुबंध पत्र/किराए की रसीद/आवेदक का किराएदार होने संबंधी शपथपत्र)

iv. मकान/परिसर का नक्शा (आवेदक द्वारा प्रमाणित)

v. स्थानीय निकाय (सचिव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी) आदि का अनापत्ति प्रमाण पत्र

vi. घरेलू कनेक्शन हेतु बी.पी.एल. राशन कार्ड/बी.पी.एल. सूची का पंजीयन प्रमाण (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और कनेक्शन चार्ज में छूट चाहता है)

vii. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का प्रमाण पत्र (अगर आवेदक ऊर्जा प्रभार में छूट चाहता है)

<u>ग्रामीण क्षेत्र घरेलू तथा गैर घरेलू कनेक्शन हेतु दस्तावेज –</u>

i. आवेदन पंजीयन शुल्क

ii. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

iii. सरपंच/पंचायत सचिव का अनापत्ति प्रमाणपत्र (केवल गैर घरेलू कनेक्शन के लिये)

iv. घरेलू कनेक्शन हेतु बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड/बी.पी.एल. सूची का पंजीयन प्रमाण (अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है और कनेक्शन चार्ज में छूट चाहता है)

v. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का प्रमाण पत्र (अगर आवेदक ऊर्जा प्रभार में छूट चाहता है)

परिशिष्ट – 2

आवेदन प्रपत्र – उच्च दाब/अन्य निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन इत्यादि
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

पासपोर्ट आकार का फोटो

यहां चिपकाए

____
____
____

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :–

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : __________________

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/ न्यासी का नाम : __________________

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन : __________________ किया जाना है या जहाँ परिवर्तन : __________________ प्रस्तावित है ।

दूरभाष क्रमांक : __________________

(i) कारखाना/परिसर : __________________

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : __________________

(iii) निवास (डाक पता) : __________________

ई–मेल : ____

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : ______________________________

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ______________ (उच्च दाब/निम्न दाब)

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : ————————————————————

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :————————————————

3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी ————————————————————

4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य ————————————————————

5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थाई
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थाई है तो अवधि लिखें :–दिनांक ———— से ———— तक

6. प्रस्तावित भार (निम्न सारणी में विवरण भरें)
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

(अ)

उपकरण	संयोजित भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल संयोजित भार (वॉट में)

(ब) यदि मॉग आधारित विद्युत दर का विकल्प चुना हो, तो संविदा मॉग____ के.व्ही.ए.
______ से प्रभावी यदि आपूर्ति के मामले में चरणबद्ध में आवश्यक हो।

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :–

11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.

8. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी/वैकल्पिक(स्टैंडबाय)/कैप्टिव विद्युत उत्पादक अथवा जनरेटर का ग्रिड से समकालन
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

स्थायी संयोजन से अतिरिक्त के लिए अवधि दर्शायें दिनांक ————से ———— तक

9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम
(अ) ————————————
(ब) ————————————
(स) ————————————
(द) ————————————

10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
(अ) अनुमानित विविधकरण कारक (अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर) : ———————
(ब) कुल संबद्ध भार : ———————
मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है : ———————

12. संविदा मांग के चरण : ———————

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

नोट : संविदा मांग के चरणों की संभावित दिनांक, अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने की दिनांक के बाद नहीं होनी चाहिए ।

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : ———————

14. टैरिफ की चयनित श्रेणी (टैरिफ आदेश के अनुसार) : ———————

15. उत्पादन की संभावित तिथि : ———————

16. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/वृहद्
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)

17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति (स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें) : ———————

18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध प्राप्त हो जाएगा । : ———————

19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार,आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है । (यदि हां तो प्रति संलग्न करें) : ————————

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ/ नहीं

21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है । : हाँ/ नहीं

22. क्या ऐसी किसी संस्था/कम्पनी आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्रांतर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ / नहीं
(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

23. क्या परिसर के नक्शें में, विद्युत उपयोग हेतु परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । : हाँ / नहीं

24. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता यथा संशोधित के विषय–वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जेस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।
(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।
(ई) मैं/हम नें आवेदन के साथ सूची अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं । : हाँ / नहीं
(यदि नहीं तो कृपया कारण सहित विवरण दें)

दिनांक : (आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)
स्थान :

नोट :– आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें :–

1. परिसर के स्वामित्व/कानूनी कब्जे का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.= 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा–पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझीदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, खसरा/बही की नकल अपेक्षित है।
8. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तद्नुसार सूचित करेगा ।
9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट ।
10. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव ।
12. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहां यह लागू हो ।
13. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में) ।
14. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।